संख्या- 2/2021/14/चालीस/2020-बजट(06)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त, कानपुर,
(2) मण्डलायुक्त, लखनऊ,
(3) मण्डलायुक्त, मेरठ,
(4) मण्डलायुक्त, झाँसी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2021

विषयः- अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2020-21 की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, कानपुर के पत्र संख्या-66/15-अन्तर्जातीय विवाह/2020 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020, मण्डलायुक्त, लखनऊ केपत्र संख्या-93/15-15 (2008-09) दिनांक 06 अक्टूबर, 2020, मण्डलायुक्त, झांसी के पत्र संख्या-1162/अन्त0- अन्तधा0वि0पु0यो0-मांग/2019-20 दिनांक 26 फरवरी, 2020 तथा मण्डलायुक्त, मेरठ के पत्र संख्या-2718/15-245/2016-18, दिनांक 31-7-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधित विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस- 10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा ''पुरस्कार की धनराशि' को संशोधित कर रू0 50,000/- ( रू0 पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गई शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवहित दम्पति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मण्डलायुक्त, कानपुर को रू0 8,00,000/-, मण्डलायुक्त, लखनऊ को रू0 4,50,000/-, मण्डलायुक्त, मेरठ को रू0 7,00,000/- एवं मण्डलायुक्त, झांसी को रू0 8,50,000/- अर्थात् कुल रू0 28,00,000/- ( रूपये अठ्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि से अन्तर्जातीय विवाह के लाभार्थियों को नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत$ रा.50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छायाप्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2021 तक सम्भव हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0 ओ0- ई-9-12 /2021 दिनांक- 06 जनवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2/2021/14(1)/चालीस-2020-बजट(06)/18 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(3) वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन।
(6) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,
राजेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।